विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर-

प्रश्न	उत्तर
3 (क) क्या वन मंत्री बतायेंगे कि चीरी हुयी इमारती लकड़ी मंगवाकर चौखट, विन्डो की चूल काटने व दरवाजे माडलिंग निर्माण कार्य हेतु 60 सेमी0 तक की आरा मशीन चलाने के लिए लाइसेंस अपेक्षित नहीं है अपितु राज्य स्तरीय समिति से अनुमति प्राप्त की जानी अनिवार्य है ?	जी हाँ, ऐसे उद्योग जो 30 सेमी0 व्यास से अधिक के बैंड आरा या री-साँ या चक्रीय आरा के बिना प्रचालन करते हैं, के लिए लाइसेंस अपेक्षित नहीं है, अपितु पंजीकरण अपेक्षित है। उक्त के अतिरिक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा विशिष्ट अपेक्षा वाले उद्योगों में 60 सेमी0 तक व्यास के चक्रीय आरा को संस्थापित करने की अनुमति दे सकती है। ऐसे उद्योगों के लिये लाइसेंस अपेक्षित नहीं है, अपितु पंजीकरण अपेक्षित है।
(ख) यदि हाँ, तो क्या 60 सेमी0 तक की आरा मशीन चलाने हेतु राज्य स्तरीय समिति से अनुमति प्रदान की जा रही है ?	पंजीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(ग) यदि हाँ, तो दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 30 जून, 2022 तक कितने आवेदन पत्रों पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है ?	प्रश्न नहीं उठता।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्नगत काष्ठ आधारित उद्योग के पंजीकरण से सम्बन्धित वाद मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था, जो माह अगस्त 2022 में निर्णीत हुआ है। तत्पश्चात प्रश्नगत काष्ठ आधारित उद्योग के पंजीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

डॉ0 अरूण कुमार
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।